न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 57–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 404/92–93/अपील.

सोवरन सिंह पुत्र महाराज सिंह
निवासी ग्राम उदयपुरा
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– मुस0 मुन्नी देवी पत्नी कन्हई सिंह
2– हरनाम सिंह पुत्र महराज सिंह
3– कल्याण सिंह पुत्र महराज सिंह
4– मुस0 भूरी बाई पत्नी शंकर सिंह
5– मुस0 गीता बाई पुत्री महराजसिंह
निवासीगण ग्राम उदयपुरा
तहसील व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम उदयपुरा स्थित भूमि खाता क्रमांक 118 रकबा 7.942 हेक्टेयर की भूमिस्वामी महिला कटोरी बाई की मृत्यु उपरांत नामांतरण पंजी की प्रविष्टि क्रमांक 106 पर दिनांक 27–1–83 को नामांतरण आदेश पारित किया जाकर उभय पक्ष का नामांतरण स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी

एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को विधिवत कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 09/85–86/अ–6 पंजीबद्ध कर दिनांक 7–5–90 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर कटोरी बाई के बजाय महाराज सिंह, वीरेंद्र सिंह, कल्याण सिंह, गीता बाई, भूरीबाई एवं मुस0 राजा बेटी का नामांतरण स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–3–93 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–12–2005 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 3–1–2017 की पेशी पर कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना साक्ष्य की विवेचना किये आदेश पारित किये गये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(2) आवेदक द्वारा वसीयत का पंजीयन नोटरी के यहां कराया गया था, और उसके द्वारा तहसील न्यायालय में विधिवत वसीयत को सिद्ध किया गया था, परन्तु इस स्थिति पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालों द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा इस आधार पर वयीत का संदिग्ध माना गया है कि साक्षी द्वारा लीड पेन से हस्ताक्षर किये गये हैं, जबकि कथन में नीली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करने का उल्लेख किया गया है, परन्तु इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि गवाह ग्रामीण अंचल का है, और वह लीड पन व पेन में अंतर नहीं समझता है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत साक्ष्य ली गई है, और साक्ष्य में आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रमाणित नहीं माना गया है, इसी कारण उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर वारिसाना नामांतरण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा

अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर